उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1
संख्या-144/2019/1074/81-1-2019-16/2016
लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2546/14-1-2018-16/2016, दिनांक 30.10.2018 द्वारा श्री विद्या सागर प्रसाद, भा0व0से0 (उ0प्र0-1988) को तात्कालिक प्रभाव से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान रू0-67000-79000, वार्षिक वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत की दर से) इन द पे मैट्रिक्स लेवल-15 स्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- श्री विद्यासागर प्रसाद ने पत्र दिनांक 21.05.219 के द्वारा अपने कनिष्ठ श्री सत्य प्रकाश यादव एवं श्री हेमन्त कुमार, भा0व0से0 (उ0प्र0-1989) की पदोन्नति की तिथि 22.07.2016 से उन्हें भी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का वेतनमान स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त श्री विद्यासागर प्रसाद, भा0व0से0 (उ0प्र0-1988) को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान रू0-67000-79000, वार्षिक वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत की दर से) इन द पे मैट्रिक्स लेवल-15 स्वीकृत करने सम्बन्धी उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-2546/ 14-1-2018-16/2016, दिनांक 30.10.2018 को एतद्वारा संशोधित करते हुए श्री विद्यासागर प्रसाद, भा0व0से0 (1988 बैच) को उनसे कनिष्ठ श्री सत्य प्रकाश यादव, भा0व0से0 (1989 बैच) की पदोन्नति की तिथि 22.07.2016 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वेतनमान रू0-67000-79000, वार्षिक वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत की दर से) इन द पे मैट्रिक्स लेवल-15 में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

4- उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-2546/14-1-2018-16/2016, दिनांक 30.10.2018 को इस सीमा तक संशोधित माना जाये।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव

संख्याः-144/2019/1074(1)/81-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/केन्द्रीय भवन अलीगंज, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीता चैधरी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in